उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-3
संख्या- 13/2017/1860/37-3-2017-3(05)/ 2016 टी0सी0
लखनऊः दिनांक 05 दिसम्बर, 2017
<u>कार्यालय-आदेश</u>

डा0 जे0पी0एन0 सिंह, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद के पद से अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त हुए। डा0 जे0पी0एन0 सिंह से मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद का चार्ज डा0 जी0एन0 सिंह द्वारा लिया गया, जो तत्समय प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद भी थे। सेवानिवृत्ति के समय डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा कैशबुक का चार्ज हस्तगत नही किया गया, जो डा0 जी0एन0 सिंह के कार्यकाल तक नही हो सका। डा0 कृपा शंकर सिंह तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा कैशबुक का चार्ज लेने के संबंध में गम्भीरता से ध्यान नही दिया गया। उनके द्वारा डा0 जी0एन0 सिंह तत्कालीन मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, पशुपालन विभाग, फैजाबाद सम्प्रति अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, बरेली मण्डल, बरेली को कैशबुक का चार्ज लेने हेतु निर्देशित नही किया गया और न ही तत्समय शासन को अवगत कराया गया। इस संबंध में डा0 जे0पी0एन0 सिंह के पत्र दिनांक 22.04.2017 में की गयी शिकायतों के क्रम में शासन के पत्र संख्या-155/37-3-2017, दिनांक 18.05.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को डा0 कृपा शंकर सिंह तत्कालीन अपर निदेशक ग्े्रड2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त का स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

2- डा0 कृपा शंकर सिंह का स्पष्टीकरण निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-231/स्था0-3/53बी(309), दिनांक 30.06.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुआ। डा0 सिंह द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया गया है कि डा0 जे0पी0एन0 सिंह की सेवानिवृत्ति के लगभग 06 माह बाद उनके द्वारा डा0 जी0एन0 सिंह से अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद का चार्ज दिनांक 22.07.2014 को प्राप्त किया गया। कैशबुक के प्रभार के संबंध में जिन पत्रों का उल्लेख डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा अपने शिकायती पत्र में किया गया है, उक्त अवधि में डा0 जी0एन0 सिंह ही प्रभारी अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद थे। डा0 कृपा शंकर सिंह के योगदान के पश्चात् यह प्रकरण तत्काल उनके संज्ञान में नही लाया गया, किन्तु जब प्रकरण उनके संज्ञान में आया तो उनके द्वारा वस्तुस्थिति से निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को तत्काल अवगत कराया गया तथा इस संबंध में आवश्यक कार्यवाहियाँ सुनिश्चित की गयी, जिसके फलस्वरूप कैशबुक का सम्पूर्ण चार्ज मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, फैजाबाद द्वारा प्राप्त कर लिया गया।

3- शासन के पत्र संख्या-1372/37-3-2017-3(05)/2016 टी.सी., दिनांक 06.10.2017 द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को प्रकरण में निहित किसी शासकीय क्षति संबंधी सुस्पष्ट सूचना

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये, जो उनके पत्र संख्या-480/स्था0-3/53बी(309), दिनांक 11.10.2017 द्वारा शासन को प्राप्त हुई, जिसमें किसी शासकीय क्षति का उल्लेख नही किया गया है।

4- शिकायतकर्ता के शिकायती पत्र, अपचारी अधिकारी के स्पष्टीकरण, निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग द्वारा शासकीय क्षति के संबंध में उपलब्ध करायी गयी सूचना/आख्या एवं संगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा डा0 कृपा शंकर सिंह के संबंध में की गई शिकायतों को बलहीन पाया गया है तथा उनके द्वारा प्रकरण में किसी शासकीय धनराशि की क्षति की पुष्टि नही हुई है।

5- अतः एतद्द्वारा श्री राज्यपाल डा0 कृपा शंकर सिंह, तत्कालीन अपर निदेशक ग्रेड-2, पशुपालन विभाग, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध डा0 जे0पी0एन0 सिंह द्वारा की गई शिकायतों को समाप्त/निक्षेपित किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं।

डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

**संख्या-13/2017/1860 (1) /37-3-2017, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- सम्बन्धित अपर निदेशक ग्रेड-2, द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

4- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक (प्रशासन एवं विकास), पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

5- पशुधन अनुभाग-1।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

वेदप्रकाश सिंह राजपूत
उप सचिव।

http://Shasanadesh.up.nic.com

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।